रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112020-223039 CG-DL-E-11112020-223039

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 575] No. 575] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 2020/कार्तिक 20, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 2020/KARTIKA 20, 1942

> वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2020

सं. 42/2020-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 705 (अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में, एतद्वारा, और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 515ख के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "5%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

5470 GI/2020 (1)

2. यह अधिसूचना 12 नवम्बर, 2020 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/20/2017- टीआरयू (पार्ट-II)]

जे. एस. कंधारी उप सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, को सा.का.िन. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 39/2020-सीमा शुल्क, दिनांक 28 अक्तूबर, 2020, जिसे सा.का.िन. 680 (अ), दिनांक 28 अक्तूबर, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2020

No. 42/2020-Customs

G.S.R. 705 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 515B, for the entry in column (4), the entry "5%" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 12th day of November, 2020.

[F. No. 354/20/2017-TRU (Pt.II)]
J. S. KANDHARI, Dy. Secy.

Note: The principal notification No.50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 39/2020-Customs, dated the 28th October, 2020, published *vide* number G.S.R. 680 (E), dated the 28th October, 2020.